

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 222

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2023-02088

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "आकृति रेसीडेन्सी", प्रमोटर-आकृति इन्फ्रास्ट्रक्चर्स, द्वारा-
श्री शिव कुमार साहू, पता-ग्राउंड फ्लोर, आकृति हाईट्स, मार्बल हाउस के पास,
कोहका, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-"आकृति रेसीडेन्सी" रिसाली, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
07/02/2024	<p>- प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>- भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा-5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट "आकृति रेसीडेन्सी" पंजीयन क्रमांक-PCGRERA220618000262 के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनांक 22.06.2018 से पंजीकृत कराया गया है। उक्त प्रोजेक्ट की रेरा पंजीयन की वैधता दिनांक 30.07.2022 को समाप्त हो चुकी है। प्रमोटर द्वारा उक्त प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 अनुसार प्रोजेक्ट अवैध प्रोजेक्ट की श्रेणी में आ चुका है। उक्त कृत्य भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 के उपबंधों का उल्लंघन है, जिसके लिये अधिनियम की धारा-59 के अधीन प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत तक शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है।</p> <p>रजिस्ट्रार, छ.ग द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 22.11.2023 के अनुसार यह पाया गया है कि संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों का अवहेलना व उल्लंघन करते हुये उक्त प्रोजेक्ट की वैधता समाप्त होने के बावजूद प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरुद्ध दिनांक 15.12.2023 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।</p> <p>- अनावेदक द्वारा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत जवाब में लेख किया गया है कि प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र दिनांक अक्टूबर, 2021 में प्राप्त किया जा चुका है। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट का त्रैमासिक अद्यतन करते समय भूलवश एनेक्सर-20 प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।</p> <p>- प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट को</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 222

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2023-02088

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "आकृति रेसीडेन्सी", प्रमोटर-आकृति इन्फ्रास्ट्रक्चर्स, द्वारा-
श्री शिव कुमार साहू, पता-ग्राउंड फ्लोर, आकृति हाईट्स, मार्बल हाउस के पास,
कोहका, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
प्रोजेक्ट-"आकृति रेसीडेन्सी" रिसाली, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>विकसित किया गया है और सक्षम प्राधिकारी से दिनांक 25.10.2021 को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट से संबंधित त्रैमासिक अद्यतन दिसम्बर, 2021 तक पूर्ण किया जा चुका है। अतः प्रकरण में कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण प्रकरण समाप्त किया जाता है।</p> <ul style="list-style-type: none">- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।- प्रकरण नस्तीबद्ध कर, अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। <p>सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p>सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	